भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1488

दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

खानों का संरक्षण एवं विकास

Ł1488. श्री सौमित्र खान:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में खनिजों के विकास में और विशेषकर खानों को पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान करने और राज्य सरकारों को खनिज रियायतें प्रदान करने में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है;

(ख) क्या भारतीय खान ब्यूरो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत खानों के संरक्षण और विकास को विनियमित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में कितनी खानें उपलब्ध हैं; और

(घ) उक्त खानों और आसपास के क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सुनिश्चित की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): संसद ने खानों और खनिजों के विकास एवं विनियमन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] बनाया है। खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती हैं।

(ख): एमएमडीआर अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ भारत में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास

नियम, 2017 तैयार किए हैं जिन्हें भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आईबीएम के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) खनन योजनाओं का प्रसंस्करण और अनुमोदन जिसमें व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन के प्रस्ताव शामिल हैं।

(ii) निरीक्षण, वैधानिक विवरणियों और डिजिटल छवियों के विश्लेषण के माध्यम से पट्टे वाले क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की निगरानी और विनियमन।

(iii) खानों की स्टार रेटिंग के माध्यम से सतत खनन पद्धतियां सुनिश्चित करना।

(ग): खान मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में प्रमुख खनिज का एक खनन पट्टा है।

(घ): कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत आते हैं जिन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। विभिन्न राज्यों में कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों का ब्यौरा सीएसआर पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे https://www.csr.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

*****